बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–161/2019 -5983 /पटना, दिनांक–30/10/19

प्रेषक,

संजय दूबे, भा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 में मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़कें, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या–37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054–सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।:–

क्र0 सं0	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	पथ का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकस्मिकता की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bhagalpur	Sultanganj	Nonsar Manjhi Tola Chowk to Rampur via Navin Tola in Ashiya Chak Panchayat Road	2.250	113.346	14.909	11.335	139.590
2	Bhagalpur	Jagdishpur	Dat Bat Gramin Cold Storage to Takkipur via Salepur Road	1.200	65.795	10.393	6.580	82.768
3	Bhagalpur	Jagdishpur	Jagdishpur to Chandpur via Bade Tagepur Road	5.850	100.269	47.939	10.027	158.235
4	Bhagalpur	Gauradih	Mirjanhat To Nadiyama PMGSY (Zamin) To Shalpur	2.970	56.639	27.564	5.664	89.867
5	Bhagalpur	Gauradih	Mirjanhat To Nadiyama PMGSY (Mohanpur) To Hazudih	5.400	68.877	39.164	6.888	114.929
6	Bhagalpur	Shankund	Shankund Asarganj PWD Road To Bhatta Chak	0.690	13.207	5.278	1.321	19.806
7	Bhagalpur	Shankund	Primary School Sarhi To Dindayalpur Bhattachak	1.250	27.973	11.053	2.797	41.823
8	Bhagalpur	Shankund	SH-85 Kiranpur To Rasulla path	0.800	21.960	6.618	2.196	30.774
9	Bhagalpur	Shankund	Jhitkiya To Maheshlitti (Part-1)	1.400	50.077	13.020	5.008	68.105
10	Bhagalpur	Shankund	Mahto Asthan To Sarha	2.500	102.438	22.538	10.244	135.220
11	Bhagalpur	Shankund	Sarha To Bhikhanpur	2.300	70.660	20.580	7.066	98.306
12	Bhagalpur	Shankund	Asarganj Shahkund To Manikpur Bujurg Via Kapsona	3.500	90.035	29.669	9.004	128.708
13	Bhagalpur	Shankund	Shahpur Amarpur PWD Road ke Yatri Shed Amba To Galgala Via REO Road Bariyarpur More Satpariya	4.950	154.765	43.562	15.477	213.804

14	Bhagalpur	jagdishpur	Fulwaria To Amarpur Road	3.200	56.843	22.902	5.684	85.429
15	Bhagalpur	jagdishpur	Baunshi RCD Road Khiribandh To Mukheriya Pokhar Road	1.810	49.395	16.471	4.940	70.806
16	Bhagalpur	jagdishpur	Bhagalpur Baunshi Road ke jagdishpur Market To Bade Hasanpur Road.	2.550	76.979	24.573	7.698	109.250
17	Bhagalpur	jagdishpur	Bhagalpur Baunshi RCD Road (Baijani More) To Ramnagar Harijan Tola	2.700	87.668	26.280	8.767	122.715
18	Bhagalpur	jagdishpur	PWD Road Maksaspur Road (Kanu Tola) To Maksaspur Harijan Tola	0.500	28.223	4.607	2.822	35.652
19	Bhagalpur	Sultanganj	NH-80 To Maheshi Railway Station Tak	0.340	22.652	1.855	2.265	26.772
20	Bhagalpur	Nath Nagar	Belshira To Hariharpur Via Prampur	1.500	36.809	13.424	3.681	53.914
21	Bhagalpur	jagdishpur	Bausi PWD To Anagari Path	2.200	76.212	18.895	7.621	102.728
22	Bhagalpur	Sultanganj	Dhanhi Belari Mukhya Sadak to Chamara Godown Road	1.962	50.395	16.683	5.040	72.118
		Total		51.822				2001.31570

2. कार्यपालक अभियंता, **कार्य प्रमण्डल, भागलपुर** योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेगें। किसी प्राकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होगें।
3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति–2018 के तहत MBD आधारित ई–निविदा के माध्यम से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्य कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या– **मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–64/2019** में दिनांक **01.06.2019** को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–13.9.19 को संचिका संख्या–**मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–161/2019 में** अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो।यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरांत ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

J. Kumar

28/10/19

14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलबध कराएंगे।

15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रुप से किया जायेगा एवं कार्यो को स–समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएगे।

16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–मु0अ0–4 (मु0)–3054 04–161/2019 के पृ0–12/टि0 पर दिनांक– 23.9.19. को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

28/10/19
(संजय दूबे)
अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–161/2019 5983/पटना, दिनांक– 30/10/19
प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, **भागलपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/10/19
अपर सचिव

पत्रांक– मु0अ0–4 (मु0)–3054–04–102/2019 5983 /पटना, दिनांक– 30/10/19
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, **भागलपुर** /जिला पदाधिकारी, **भागलपुर** /उप विकास आयुक्त, **भागलपुर** /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/**मुख्य अभियंता–2** एवं 4, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, **भागलपुर** /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, **भागलपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

S. Kumar

28/10/19
अपर सचिव